के. के. सोनगरिया
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल - 462003 (म.प्र.)
(कार्या.) : 0755-2779411, 2779412, नि. 2761677
(मो.) : 9425463471
E-mail : encph@nic.in

अर्द्ध शास. पत्र क्रमांक 11658/ [illegible]
भोपाल, दिनांक 20/12/2024

विषयः– विभाग में प्रचलित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की मासिक समीक्षा करने एवं समयसीमा में जवाबदावा/पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने विषयक ।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक 7445 दिनांक 05.08.2024

प्रिय श्री मालवीय जी,

विषयांतर्गत आपको अवगत हो कि विगत माह नवम्बर 2024 में गूगल ड्राइव लॉ फारमेट में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा फीड की गई जानकारी के अनुसार विभाग में प्रचलित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या 1719 है जिसमें से 243 प्रकरणों में जबावदावा/पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है एवं न्यायालयीन प्रकरणों के प्रति संबंधित अधिकारियों द्वारा बरती जा रही उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है।

आपको पूर्व से ही प्रत्येक माह परिक्षेत्र स्तर पर न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में सभी प्रभारी अधिकारी /संपर्क अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करने एवं समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण निरन्तर रूप से इस कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी कोई भी कार्यवाही आपके स्तर से संपादित नहीं की जा रही है क्योंकि किसी भी स्तर से ऐसा कोई भी कार्यवाही विवरण मुझे आज पर्यन्त तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आपको पुनः निर्देशित करता हूं कि आप ऐसी समीक्षा बैठक निरन्तर रूप से आयोजित करें तथा जिन भी प्रकरणों में जवाबदावे की कार्यवाही लम्बित है उन्हें एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराते हुये, समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण, पालन प्रतिवेदन सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

मैं चाहूँगा कि आप यह सुनिश्चित करें कि माननीय न्यायालयो में प्रस्तुत किये जा रहे जबावदावे/पालन प्रतिवेदन विभाग की बेबसाइट पर इम्पलोई कार्नर शीर्षक के अंतर्गत लीगल सेक्शन में उपलब्ध कार्यालयीन मार्गदर्शनों के अनुरूप हो। यदि प्रकरण के संबंध में उक्त शीर्षक में मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है तो आप स्वयं अपने स्तर से ऐसे मामलो में जवाबदावे/पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करें।

D0/enc 1

मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि गूगल ड्राइव मे उपलब्ध लॉं फारमेट 1 से 9 तक प्रत्येक माह के अंत में अद्यतन करवाना सुनिश्चित करें, क्योंकि शासन द्वारा चाही गई जानकारी यह मानते हुए कि माह के अंत में लॉं फारमेट अद्यतन कर दिये गये है, प्रेषित की जाती है।

अन्त में, मैं चाहूंगा कि आप यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त सभी वांछित कार्यवाहियां समय पर पूर्ण हों।

शुभकामनाएं।

भवदीय

(के.के.सोनगरिया)

प्रति
श्री एल.एल.मालवीय
मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
वि./या.परिक्षेत्र भोपाल म.प्र.

पृ0कमांक 11658/विधि/अ–586/प्र.अ./ भोपाल दिनांक 20/12/2024

प्रतिलिपिः– 1. अधीक्षण यंत्री लो.स्वा.या.वि. मण्डल ....

2. कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.या.वि. खंड ....

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20.12.2024

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा भोपाल